

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एरा10 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

324/2013
28.05.2013

हनुमान पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवारी सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज

बनाम

..... प्रार्थी

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
- 3-तहसीलदार पीपलू जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956
उपस्थित (1) श्री संजय कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 25.07.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम सोहेला तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 999/4 में से 300 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी 200/- प्रति वर्गमीटर की दर,सडक व आबादी के पास की सिंचित भूमि की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 471/09 दिनांक 03.06.2010 को निरस्त कर 200/- प्रति वर्गमीटर की दर,सडक व आबादी के पास की सिंचित भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 471/09 दिनांक 03.06.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 999/4 में से कुल रकबा 300 वर्गमीटर वाके ग्राम सोहेला में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी



- 777 -


आरबीट्रेटर N.H.-12
- (जिला कलेक्टर)
टोंक (राज)

किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बाराणी राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। प्रार्थी आस-पास की भूमि के प्रयोग एवं उपयोग के अनुसार मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/मौखिक बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख०न० 999/4 में से 300 वर्गमीटर, किस्म जमीन बाराणी वाके ग्राम सोहेला का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 200/- प्रति वर्गमीटर की दर, सडक व आबादी के पास की सिंचित भूमि की दर से चाहा गया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा इस बाबत कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त भूमि बिजली, पानी, सडक टेलिफोन, स्कूल, मजिस्ट्रट, मन्दिर सभी प्रकार की व्यवसायिक दुकाने आदि समस्त सुविधा युक्त है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि व्यवसायिक है, इस बाबत संपरिवर्तन आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.-12
जिला कलेक्टर
टोंक